न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 19/2020

उनवान

महेश कुमार पुत्र नाथूलाल जाति भांबी नि0 ग्राम नान्दला, नसीराबाद
––– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 10.8.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल देराठू तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 3447 रकबा 0.54, 3453 रकबा 0.33, 3457 रकबा 0.33, 3442 रकबा 0.10, 3443 रकबा 0.15 व 8233/3444 रकबा 0.23 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 3447, 3453, 3457, पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 3431 रकबा 0.70 के पूर्व से पश्चिम की ओर व खसरा नम्बर 3447, 3453, 3457, से खसरा नम्बर 3442, 3443, 8233/3444 पर जाने के लिये खसरा नम्बर 3454 रकबा 0.21 में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवेश करता है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक है तथा प्रार्थी के पास उक्त आराजी पर आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई मार्गाधिकार मौके व राजस्व अभिलेख में विधमान नही है। प्रार्थी उक्त सिवायचक खसरा नम्बर 3431 व 3454 को अपने खेत पर आने–जाने हेतु उपयोग करता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम देराठू में स्थित प्रार्थी की खातेदारी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 3431 व 3454 मे से प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:59:25 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नसीराबाद ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध लघुतम मार्ग खसरा नम्बर 3431 व 3454 में से प्रस्तावित किया गया है। मार्ग हेतु खसरा नम्बर 3431 में से 104 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौडाई कुल 951.6 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 3454 में से 34 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर चौडाई कुल 311.10 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है इस प्रकार दोनो खसरा नम्बर में से कुल 1262.70 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायवक दर्ज है। जिसकी डी0एल0सी0 दर से राशि 47968/सैतालीस हजार नो सै अडतीस रूपये होती है। नवीन रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। 3447 रकबा 0.54, 3453 रकबा 0.33, 3457 रकबा 0.33, 3442 रकबा 0.10, 3443 रकबा 0.15 व 8233/3444 रकबा 0.23 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी के खसरा नम्बर 3447, 3453 व 3457 पर आवागमन हेतु प्रार्थी खसरा नम्बर 3266 गै0मु0 रास्ता से सिवायचक खसरा नम्बर 3431 में से होकर जाता है तथा खसरा नम्बर 3442, 3443 व 8233/3444 पर आवागमन हेतु अपने अन्य खातेदारी खसरा नम्बर 3447 व 3453 में से सिवायचक खसरा नम्बर 3454 में से होकर जाता है। खसरा नम्बर 3431 व 3454 सिवायचक दर्ज है। खसरा नम्बर 3266 रकबा 0.34 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके व रेकार्ड में उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम है जिसकी प्रार्थी को आत्यतिंक आवश्यकता है। मार्ग हेतु खसरा नम्बर 3431 में से 104 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर चौडाई कुल 951.6 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 3454 में से 34 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर चौडाई कुल 311.10 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है इस प्रकार दोनो खसरा नम्बर में से कुल 1262.70 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायवक दर्ज है। जिसकी डी0एल0सी0 दर से राशि 47968/सैतालीस हजार नो सै अडतीस रूपये होती है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा एक आसामी को अपनी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थी खसरा नम्बर 3454 व 3431 में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 3431 में से 104 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर चौडाई कुल 951.6 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 3454 में से 34 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर चौडाई कुल 311.10 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त मार्ग के एवज में डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 95936/ अक्षरे पिचानवे हजार नो सौ छतीस रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को मौका रिपोर्ट में दर्ज नजरी नक्शा अनुसार राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
...बाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:59:25 IST
Reason: SelfAttested